भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2013/अग्रहायण 28, 1935

[रा.रा.स.से.दि. सं. 200

No. 194]

DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2013/AGRAHAYANA 28, 1935 [N.C.T.D. No. 200

भाग—IV

PART-IV

शिक्षा निदेशालय (स्थापना–IV) शुद्धि–पत्र

दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013

सं. फा. डी.ई./टी.जी.टी (सी.एस.)/स्था.—IV/2011/1043.—दिनांक 25 अप्रैल, 2013 की सं. फा. डी.ई./टी.जी.टी. (सी.एस.)/स्था.—IV/2011/504, जारी सं. 68 के अनुसार दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-IV में प्रकाशित शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कम्प्यूटर विज्ञान) के पद के भर्ती नियमों से संबंधित अधिसूचना के आंशिक आशोधन में, हिन्दी रूपान्तरण में क्रम संख्या 4 (ख) पर उल्लिखित निम्नलिखित हिन्दी रूपान्तरण को पूर्व प्रभाव से इस अधिसूचना के एक अंश के रूप में पढ़ा जाए।

- 4 अयोग्यता:- ऐसा कोई भी व्यक्ति
- (ख) जो एक जीवित पति / पत्नीः के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह का अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

यह सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

डॉ. मधु तवेतिया, (अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्थापना-IV)

DIRECTORATE OF EDUCATION (ESTABLISHMENT -IV BRANCH) CORRIGENDUM

Delhi, the 19th December, 2013

- F. No. DE / TGT (CS)/E-IV/2011/1043.—In partial modification of notification regarding Recruitment Rules to the post of Trained Graduate Teacher (Computer Science) in the Directorate of Education, Government of NCT of Delhi published in Delhi Gazette: Extraordinary Part –IV Issue No. 68 vide F. No. D.E. TGT (CS)/E-IV/2011/504, dated 25th April, 2013, in English version, the contents at Sl. No 4 (b), which is as under may also be read as a part & parcel of the notification with retrospective effect.
 - 4. Disqualifications:- No person....
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post

This issues with the prior approval of the competent authority.

MADHU RANI TEOTIA, Addl. Director of Education (E-IV)